बैठक दिनांक 19.09.2022
संख्या 1216/आठ–1–22–1446/2021

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2022**

विषयः मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के कियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, खेल अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1929/बयालिस–2022, दिनांक 12.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के कियान्वयन के संबंध में खेल गतिविधियों को बढ़ाने, खेलों के प्रति जागरूकता वृद्धि एवं नियमित रूप से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने के उद्देश्य से **अन्तर्विभागीय बैठक मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2022 को अपराह्न 02.00 बजे मुख्य भवन स्थित कक्ष संख्या–80 में आहूत** किये जाने की सूचना देते हुए विभाग से संबंधित सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–675/आठ–1–22–1446/2021, दिनांक 13.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के कियान्वयन के सम्बंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके संबंध में अद्यतन सूचना अप्राप्त है।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 16.09.2022 तक निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
14.9.22
(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, सी0एस0आई0 एजुकेशनल सोसायटी, (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रकरण में समस्त संबंधितों से समन्वय स्थापित कर समेकित सूचना दिनांक 17.09.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,
(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव।

D://R/GO 2021

1216/आठ-1-2022

संख्या- 1929 /बयालिस-2022

प्रेषक,

राजेश कुमार-II,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/ गृह/ महिला एवं बाल विकास/स्वास्थ/युवा कल्याण/ दिव्यांगजन/ अल्पसंख्यक/ आयुष/ चिकित्सा शिक्षा/ ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/ श्रम/औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/पर्यटन/सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

खेल अनुभाग | लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2022

विषय :- **मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी के संकल्प पत्र में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्टक्चर मिशन के द्वारा प्रदेश में ग्राम स्तर तक खेल अवस्थापनाओं की स्थापना, उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं/संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा विभिन्न विभागों के अधीन संचालित संस्थाओं में खेल कलेण्डर की तैयारी, खेल का प्रशिक्षण एवं खेल प्रतियोगिताऐं आयोजित कर प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने हेतु तैयार करना सम्मिलित है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल के खेलो इण्डिया एप पर प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों एवं अवस्थापनाओं का पंजीकरण/मैपिंग/जियो टैगिंग, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान, खेल प्रतियोगिताओं का कलेण्डर तैयार करना, खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर प्रभावशाली प्रशिक्षण देना, तहसील/जनपद/मण्डल स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना, नियमित खेल अभ्यास, नयी खेल अवस्थापनाओं का सृजन, खेल नीति हेतु सुझाव से सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित है।

3- अतः खेल गतिविधियों को बढ़ाने, खेलों के प्रति जागरूकता वृद्धि एवं नियमित रूप से खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने के उद्देश्य से अन्तर्विभागीय बैठक **मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2022 को अपरान्ह 02:00 बजे मुख्य भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में आहूत की गयी है।**

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ ससमय कृपया प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक: बैठक का एजेण्डा

भवदीय,

(राजेश कुमार-II)
विशेष सचिव।

GO (jlt) 2021

संख्या-1929 (1)/बयालिस-2022-तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त बैठक से सम्बन्धित वांछित सूचनाएं शासन को दिनांक 15.09.2022 तक उपलब्ध कराते हुए उक्त बैठक में ससमय समस्त सूचनाओं के साथ स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

2- क्षेत्रीय निदेशक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस साई सेण्टर, लखनऊ को उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु प्रेषित।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, उ0 प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, खेल विभाग, उ0 प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

बैठक का एजेण्डा

- खेल संस्कृति को एक विधा के रूप में विकसित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक जनमानस तक खेल को पहुँचाया जाये, बचपन से ही प्रत्येक आयु के बालक/बालिका में खेल के प्रति अभिरूचि पैदा करते हुए उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाऐ जाये। इसके लिए ग्राम, नगर, ब्लाक, तहसील, जनपद, मण्डल से राज्य स्तर तक संलग्न प्रारूप के अनुसार जिन विभागों द्वारा स्कूल/कालेजों/छात्रावासों का संचालन किया जाता है उनसे कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाये तथा सूचना माहवार संकलित की जाये।
- खेलो इण्डिया एप का वृहत प्रचार-प्रसार करते हुए प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं अवस्थापनाओं का पंजीकरण खेलो इण्डिया एप पर पंजीकरण/मैपिंग/जियो टैगिंग किया जाय।
- विभागों द्वारा अपने अधीन संचालित स्कूल/कालेजों/छात्रावासों में खेल उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इनमें मेडिसिन बॉल (01Kg, 02Kg) फुटबाल, वालीबाल, टी0टी0 आदि प्राथमिकता पर बच्चों को उपलब्ध करायी जाय।
- खेल प्रशिक्षकों/व्यायाम प्रशिक्षक/योग शिक्षकों/कोचो का खेलो इण्डिया एप पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाय तथा उनको battery of tests के विषय में प्रशिक्षित किया जाय।
- विभागों द्वारा जो स्कूल/कालेजों/छात्रावासों का संचालन किया जाता है उनमें खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में कोई तकनीकी सहायता या कोचों के प्रशिक्षण आवश्यकता तथा खेल हेतु निर्धारित मानको की आवश्यकता हो तो खेल विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।
- विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि खेल विभाग के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी तथा उपक्रीड़ा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने स्तर पर खेलों का संचालन कर बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये।
- तहसील/जनपद/मण्डल स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खेल प्रतियोगिताओं का कैलेण्डर तैयार कर प्रतिभावान खिलाडियों की पहचान करते हुए खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर प्रभावशाली प्रशिक्षण देना एवं नियमित खेल अभ्यास तथा खेल नीति हेतु सुझाव और ग्राम स्तर से लेकर मण्डलीय स्तर तक नियमित खेलों का संचालन कराया जाये।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या 675 / आठ–1–22–1448 / 2021

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **अध्यक्ष / जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 13 जून, 2022**

विषय: मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के कियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, खेल अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–923 / बयालिस–2022, दिनांक 02.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के कियान्वयन के संबंध में यदि कोई कठिनाई आये तो संबंधित जिला खेल अधिकारी से समन्वय कर कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग के अधीन सभी जिला / मण्डल स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा किये जाने के साथ ही विभाग के अधीन संचालित संस्थानों में उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है :–

(1) भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के पोर्टल के खेलों इण्डिया ऐप पर प्रशिक्षको, खिलाडियों एवं अवस्थापनाओं का पंजीकरण / मैंपिग / जियों टैगिंग।
(2) प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान।
(3) खेल प्रतियोगिताओं का कलेण्डर तैयार करना।
(4) खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यकमों की रूपरेखा तैयार कर प्रभावशाली प्रशिक्षण देना।
(5) तहसील / जनपद / मण्डल स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
(6) ~~पर~~ खेल अवस्थापनाओं की मेपिंग एवं जियो टैगिंग
(7) नियमित खेल अभ्यास।
(8) नयी खेल अवस्थापनाओं का सृजन।
(9) खेल नीति हेतु सुझाव।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से **शासन** एवं अवास बन्धु को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रकरण में समस्त संबंधितों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

675/आठ-1-22

संख्या- 923 /बयालिस-2022

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/ गृह/ महिला एवं बाल विकास/स्वास्थ्य/ युवा कल्याण/ दिव्यांगजन/ अल्पसंख्यक/ आयुष/ चिकित्सा शिक्षा/ ग्राम्य विकास / समाज कल्याण विभाग/ आवास एवं शहरी नियोजन/ औद्योगिक विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

महत्वपूर्ण

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 8 जून, 2022

54355/PSH/22

विषय :- मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

DS (AKD) आठ-1

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी के संकल्प पत्र में मेजर ध्यानचन्दं स्पोर्टस इन्फ्रारटक्चर मिशन के द्वारा प्रदेश में ग्राम स्तर तक खेल अवस्थापनाओं की स्थापना, उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं/संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा विभिन्न विभागों के अधीन संचालित संस्थाओं में खेल कलेण्डर की तैयारी, खेल का प्रशिक्षण एवं खेल प्रतियोगिताऐं आयोजित कर प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने हेतु तैयार करना सम्मिलित है।

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

02-0

कृपया आप अपने विभागों के अधीन संचालित संस्थानों में उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही करवाने का कष्ट करें :-

(1) भारतीय खेल विकास प्राधिकरण के पोर्टल के खेलो इण्डिया ऐप पर प्रशिक्षकों, खिलाडियों एवं अवस्थापनाओं का पंजीकरण/मैपिंग/जियो टैगिंग ।
(2) प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान।
(3) खेल प्रतियोगिताओं का कलेण्डर तैयार करना।
(4) खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर प्रभावशाली प्रशिक्षण देना।
(5) तहसील/जनपद/मण्डल स्तरीय खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
(6) पर खेल अवस्थापनाओं की मेपिंग एवं जियो टैगिंग
(7) नियमित खेल अभ्यास।
(8) नयी खेल अवस्थापनाओं का सृजन।
(9) खेल नीति हेतु सुझाव।

3.6.2022

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधिनस्थ सभी जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि यदि उक्त मिशन के संचालन या क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आये तो, सम्बन्धित जिला खेल अधिकारी से समन्वय कर कार्यवाही करें।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

आठ-2
3/6/2022

GO (N) 2021